खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0121 / 2017

हरिश मुखिजा पुत्र श्री किशन चन्द मुखिजा निवासी मकान नं. 918 स्कीम नं.10 अलवर (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स मुखिजा डेयरी, शिवाजी पार्क अलवर

——अपीलार्थी

विरूद्व

1. राजस्थान राज्य जरिए कमिश्नर खाद्य सुरक्षा जयपुर (राज.)
2. सरकार जरिए मुरारी लाल शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर

——प्रत्यर्थीगण

उपस्थितः—

1. श्री राम बाबू शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री अभिजीत शर्मा, अधिवक्ता वास्ते श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं.01 राज्य

:: निर्णय :: **दिनांक : 21.03.2018**

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, (शहर) अलवर के आदेश दिनांक 22.11.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 52 / 2014 सरकार बनाम हरिश में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं सपठित नियम 2011 की धारा 51 के तहत 1,00,000 रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. स्वीकृत तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी के यहां से खाद्य पदार्थ घी का सैम्पल लिया गया था जो बाद जांच अमानक पाया गया। इसपर अपीलार्थी के विरूद्व न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष परिवाद पेश किया गया। आलौच्य आदेश अपीलार्थी द्वारा उसपर आरोपित तथ्यों को स्वीकार करने के कारण पारित किया है।

3. अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि अधिरोपित शास्ति अत्यधिक है, घी में जो कमी पाई गई है वह केवल मात्र नमी की पाई गई है जो अधिकतम 0.50 प्रतिशत होनी चाहिए, उसके स्थान पर 0.66 प्रतिशत है अर्थात 0.16 प्रतिशत अधिक है। यह त्रुटि विश्लेषण की भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में अधिरोपित शास्ति अत्यधिक है।

4. प्रत्यर्थी की ओर से आलौच्य आदेश की संपुष्टि किए जाने का निवेदन किया।

5. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

6. यह स्वीकृत तथ्य है कि खाद्य पदार्थ घी में जो कमी पाई गई वह नमी की मात्रा 0.16 प्रतिशत अधिक बताई गई है। यह त्रुटि विश्लेषण की होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अधिरोपित की गई शास्ति न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में शास्ति के बिन्दु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 52/2014 सरकार बनाम हरिश में पारित किया गया कि अपीलार्थी पर 1,00,000 रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये मात्र) की शास्ति आरोपित की गई, उसके स्थान पर 20,000रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है, शेष आदेश यथावत रहेगा। अपीलार्थी अधिरोपित शास्ति जमा कराकर रसीद पेश करे। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर